नगर निकायों के विभिन्न कर्मचारी संगठनों से प्राप्त मांगों पर विचार–विमर्श हेतु माननीय मंत्री महोदय एवं प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 05.09.2019 को की गई बैठक की कार्यवाही

उपस्थित–

1. श्री शिव वचन शर्मा, अध्यक्ष, बिहार लोकल बॉडिज इम्प्लाईज फेडरेशन।
2. श्री अशोक कुमार सिंह, महामंत्री, बिहार लोकल बॉडिज इम्प्लाईज फेडरेशन, पटना।
3. श्री आर0 एन0 ठाकुर, अध्यक्ष, बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ (ऐक्टू)।
4. श्री श्यामलाल प्रसाद, महासचिव, बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ।
5. श्री शशिकान्त राय, महामंत्री, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ।
6. श्री सत्येन्द्र प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष, बिहार लोकल बॉडिज इम्प्लाईज फेडरेशन।
7. श्री रवीन्द्र कुमार सिंह, संगठन मंत्री, बिहार लोकल बॉडिज इम्प्लाईज फेडरेशन।
8. श्री रामनरेश प्रसाद यादव, कोषाध्यक्ष, बिहार लोकल बॉडिज इम्प्लाईज फेडरेशन।
9. श्री राम यतन प्रसाद, महासचिव, पटना नगर निगम कामगार यूनियन।
10. श्री मंगल पासवान, महासचिव, पटना नगर निगम चतुर्थवर्गीय कर्मचारी संघ।
11. श्री जितेन्द्र कुमार, क्षेत्रीय मंत्री, पटना प्रमंडल, बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाईज फेडरेशन।
12. श्री मोख्तार अहमद, महासचिव, दरभंगा नगर निगम, स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ।
13. श्री अमृत प्रसाद, संरक्षक, बिहार लोकल बॉडिज इम्प्लाईज फेडरेशन।
14. श्री ब्रहम्देव महतो, क्षेत्रीय मंत्री, बिहार लोकल बॉडिज इम्प्लाईज फेडरेशन।

नगर निकायों के विभिन्न कर्मचारी संगठनों से प्राप्त मांगों पर विचार–विमर्श हेतु माननीय मंत्री महोदय एवं प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में विचार–विमर्श हुआ। विचार–विमर्श में निम्नलिखित निर्णय लिया गया:–

(i) नगर निकायों के कर्मियों को राज्य सरकार के कर्मियों के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से सातवाँ वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिये जाने तथा इसके आलोक में निर्धारित वेतन का सत्यापन विभाग स्तर के बदले जिला लेखा पदाधिकारी के स्तर से कराये जाने पर सरकार का आदेश प्राप्त किया जायेगा।

(ii) नगर निकायों में कार्यरत कर्मियों के सेवाकाल में मृत्योपरांत उनके आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु पदों की उपलब्धता हेतु कार्रवाई किये जाने का निर्णय लिया गया।

(iii) नगर निकाय के कर्मियों के वेतन विसंगति को दूर करने के संबंध में कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों से अभ्यावेदन समर्पित करने को कहा गया। उक्त अभ्यावेदन पर सरकार द्वारा विचार कर यथोचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया।

(iv) नगर निकायों में दैनिक मजदूरी अथवा संविदा के आधार पर विहित प्रक्रिया के तहत पूर्व से कार्यरत कर्मियों के संबंध में सभी नगर निकायों से प्रतिवेदन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया तथा प्राप्त प्रतिवेदनों की समीक्षा माननीय न्यायालय के निर्णयों एवं राज्य सरकार के संगत परिपत्रों एवं निदेशों के परिप्रेक्ष्य में किये जाने का निर्णय लिया गया।

(v) नगर निकायों में कार्यरत दैनिक मजदूरी के दर के संबंध में श्रम संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित मजदूरी से कम नहीं दिये जाने निर्णय लिया गया।

(vii) नगर निकायों के कर्मियों को इ0पी0एफ0 एवं इ0एस0आई से आच्छादित कर्मियों से संबंधित संगत कार्रवाई नगर निकायों द्वारा सुनिश्चित कराने की कार्रवाई किये जाने के संबंध में निर्णय लिया गया।

(viii) नगर निकायों के कर्मियों को नियमानुसार अनुमान्य सेवान्त लाभों एवं पेंशन इत्यादि का समय पर भुगतान सुनिश्चित कराने की कार्रवाई का निर्णय लिया गया।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञाप संख्या–05 न0वि0 / विविध–65 / 2019–....4775.... / न0वि0आ0वि0, पटना, दिनांक– 6/9/19

प्रतिलिपिः–नगर निकायों के विभिन्न कर्मचारी संगठनों के सभी प्रतिनिधियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राम सेवक प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।